

महिला यात्रियों को दी जा रही सुविधाएं

- i. महिला यात्रियों की आयु पर ध्यान दिए बिना, अकेले या समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में छह बर्थ और सभी राजधानी/दूरान्तो/पूर्णतः वातानुकूलित/एक्सप्रेस गाड़ियों की 3एसी श्रेणी में छह बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
- ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रति सवारी डिब्बा छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3एसी) में प्रति सवारी डिब्बा चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2एसी) श्रेणियों में प्रति सवारी डिब्बा तीन से चार निचली बर्थ (गाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।
- iii. कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय एकोमोडेशन की उपलब्धता के अध्यधीन स्वतः निचली बर्थ आवंटित करने का प्रावधान है, भले ही इसके लिए कोई विकल्प न दिया हो।
- iv. गाड़ी के प्रस्थान के बाद यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध है और यदि विकलांग रियायत के प्राधिकार पर बुक किए गए दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपर/बीच की बर्थ आवंटित की गई है, खाली निचली बर्थ देने की मांग करता है तो ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- v. विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से अधिक होने पर महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व संसद सदस्यों, विधायकों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण मांगों के लिए अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। यदि महिलाओं, दिव्यांगजनों या वरिष्ठ नागरिकों सहित इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी अनुरोधों से निपटने के लिए कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर निर्धारित किए गए हैं।

उन आरक्षण कार्यालयों, जहां कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है और जहां महिला यात्रियों के लिए अलग काउंटरों की व्यवस्था नहीं है, में महिला यात्रियों को सामान्य कतार में लगने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है और उन्हें उसी काउंटर पर सामान्य यात्रियों की भाँति अलग से सेवा मुहैया कराई जाएगी।

- vi. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में भी महिला यात्रियों के लिए एकोमोडेशन निर्धारित किया गया है।
- vii. उपनगरीय गाड़ियों में अनन्य रूप से महिला यात्रियों के लिए अलग कंपार्टमेंट/सवारी डिब्बे निर्धारित किए गए हैं।
- viii. आवश्यकता पड़ने पर और व्यावहारिक होने पर महिला स्पेशल गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।
- ix. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महिला यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष/हॉल चिह्नित किए जाते हैं।
- x. मानदंडों के अनुसार महिला यात्रियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाती है।
